

**गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग**

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना की प्रतिपूर्ति

केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय को केंद्र और संबंधित राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है :-

- विद्रोह-रोधी अभियानों के लिए राज्य पुलिस और जेल प्रशासन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण,
- इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों का गठन,
- सीएपीएफ को बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक मरम्मत सहित सिविल कार्य,
- राज्य में तैनात सीएपीएफ/सेना को प्रदान किया गया संभार तंत्र (लॉजिस्टिक) उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों के लिए अनुग्रह अनुदान और राहत ,
- गिरफ्तार उग्रवादियों को राज्य के बाहर की जेलों तक ले जाने या राज्य के बाहर गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों को विशेष उड़ानों द्वारा राज्य में लाने के लिए परिवहन,
- सुरक्षा के उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण रक्षकों/ ग्राम रक्षा समितियों/ गृह रक्षकों को भुगतान किया गया मानदेय,
- एनएसए बंदी,
- आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही और उनका पुनर्वास,
- ऐसे समूहों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाई निलंबन समझौता किया है, के लिए स्थापित निर्दिष्ट शिविरों का अनुरक्षण,
- एसओओ कैडरों का प्रशिक्षण ,

इसके अलावा, निम्नलिखित दो मदों पर प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की जाती है-

- राज्य पुलिस द्वारा पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए व्यय की 75% प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी।
- सीएपीएफ कर्मियों की मृत्यु/स्थायी अक्षमता के मामले में अनुग्रह राशि के भुगतान का वहन 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2014-15 से एसआरई योजना के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

जारी की गई धनराशि	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2014-15	106.69	57.88	37.76	27.23	12.61	18.83	261.00
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	280.00
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	300.00
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	405.00
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	250.00
2019-20	210.86	12.82	34.26	39.22	9.69	13.15	320.00
2020-21	65.43	41.82	39.50	8.70	4.88	24.92	185.25
2021-22	251.07	58.79	74.66	32.20	14.40	12.60	443.72
2022-23	109.16	22.82	23.65	18.85	6.45	100.57	281.50
2023-24	266.16	39.76	121.20	38.87	15.94	18.07	500.00
2024-25	150.97	47.88	190.98	22.23	14.16	6.78	433.00
